योजना मंत्रालय

मांग संख्या 63

योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		11.06	30.00	41.06	58.40	27.44	85.84	61.02	30.50	91.52
पूंजी		*8.94*	*...*	*8.94*	*4.00*	*...*	*4.00*	*15.00*	*...*	*15.00*
जोड़		**20.00**	**30.00**	**50.00**	**62.40**	**27.44**	**89.84**	**76.02**	**30.50**	**106.52**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.37	0.37	...	0.20	0.20	...	0.39	0.39
2. योजना आयोग	3451	3.12	25.83	28.95	53.70	23.52	77.22	54.48	26.11	80.59
3. राज्य मानव विकास रिपोर्ट के	3475	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.66	...	0.66
लिए यूएनडीपी सहायता	3601	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.17	...	0.17
	जोड़	*0.74*	*...*	*0.74*	*0.74*	*...*	*0.74*	*0.83*	*...*	*0.83*
4. अन्य	3475	7.20	3.80	11.00	3.96	3.72	7.68	5.71	4.00	9.71
	5475	8.94	...	8.94	4.00	...	4.00	15.00	...	15.00
	जोड़	*16.14*	*3.80*	*19.94*	*7.96*	*3.72*	*11.68*	*20.71*	*4.00*	*24.71*
कुल जोड़		***20.00***	***30.00***	***50.00***	***62.40***	***27.44***	***89.84***	***76.02***	***30.50***	***106.52***
ख आयोजना परिव्यय:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय आर्थिक सेवा	13451	3.12	...	3.12	53.70	...	53.70	54.48	...	54.48
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	16.88	...	16.88	8.70	...	8.70	21.54	...	21.54
जोड़		**20.00**	**...**	**20.00**	**62.40**	**...**	**62.40**	**76.02**	**...**	**76.02**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** इसमें योजना मंत्री और योजना राज्य मंत्री के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **योजना आयोग/योजना बोर्डः** इस मद में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

3. इसमें राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्टों की तैयारी के लिए यू.एन.डी.पी. सहायता का प्रावधान किया गया है।

4. **अन्यः** (क) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), को सहायता अनुदान, जो भारत में मानव संसाधनों के स्वरूप, विशेषता तथा उपयोगिता संबंधी जानकारी की प्रगति के लिए तथा सरकारी विभागों को जनशक्ति अनुसंधान सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, (ख) विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थाओं के विकास इत्यादि के लिए सहायता अनुदान, (ग) कृषि-जलवायु संबंधी क्षेत्रीय आयोजना परियोजना (एआरपीयू) सहित 'व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' योजना के अंतर्गत भुगतान (घ) कार्यालय पद्धति एवं द्वीप विकास प्राधिकरण का आधुनिकीकरण; तथा (ङ) योजना आयोग की रूचि के विषयों में अनुसंधान अध्ययन करने के लिए आईएएमआर को सहायतानुदान देने की एक नई प्लान योजना 50 लाख रुपए के परिव्यय से की गई है।